



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4254/2006

याचिकाकर्ता :

श्री एच.बी. शाह, पिता स्व. श्री बी.एम. शाह, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी सिम्पलेक्स कॉलोनी, मालवीय नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी/श्रम न्यायालय, आनंद नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा निरीक्षक, उपादान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियुक्त, सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

उपस्थित:

याचिकाकर्ता के लिए श्री आर.आर. सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री भास्कर प्यासी, पैनल अधिवक्ता।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश



## मौखिक आदेश

(दिनांक 05.12.2008 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी/श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा दण्डिक प्रकरण क्रमांक 821/पीजीए/02 (राज्य विरुद्ध हीरालाल) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.04.2005 (संलग्नक पी/1) की वैधानिकता और विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दोषसिद्ध किया गया था और मध्य प्रदेश उपादान संदाय नियमों (संक्षेप में, "नियम") के नियम 3 (1), 4 (1), 8 (1) और नियम 20 के प्रत्येक उल्लंघन के लिए 10,000/- रुपये की दर से कुल 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड के दण्डादेश से दण्डित किया गया था, जो उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1972") की धारा 9 (2) के अधीन दण्डनीय है, और साथ ही राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा दण्डिक अपील क्रमांक 112/सीजीआईआर/ए-11/2005 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2006 (संलग्नक पी/2) को भी चुनौती दी है।
2. प्रकरण के निराकरण हेतु संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, उरला का प्रबंध निदेशक है। इस प्रकार, अधिनियम, 1972 के सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होने के नाते, वह अधिनियम, 1972 के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 3 (1) के तहत अपेक्षित प्रपत्र





संख्या 'क' में स्थापना के प्रारंभ होने की सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1972 के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 3 (1), 4 (1), 8 (1) और 20 के उल्लंघन के लिए अधिनियम, 1972 की धारा 9 (2) के अधीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी/श्रम न्यायालय, रायपुर के न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया। अपराध की विशिष्टियों की स्वीकृति पर, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने आदेश दिनांक 28.04.2005 (संलग्नक पी/1) पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक उल्लंघन के लिए 10,000/- रुपये, अर्थात् पूर्वोक्त कुल 40,000/- रुपये का अर्थदण्ड संदत्त करने का दण्डादेश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष दाण्डिक अपील क्रमांक 112/सीजीआइआर/ए-2/2005 प्रस्तुत की। राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर ने आदेश दिनांक 27.01.2006 (संलग्नक पी/2) द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायपुर के निर्णय की पुष्टि करते हुए अर्थदण्ड की राशि को 40,000/- रुपये से घटाकर 30,000/- रुपये करने के संशोधन के साथ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने याचिकाकर्ता के प्रकरण को खारिज करते समय मामले



के तथ्यों और परिस्थितियों का उनके सही परिप्रेक्ष्य में विवेचन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध हैं क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को 5,000/- रुपये से अधिक अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करने की शक्ति नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 ने 5,000/- रुपये से अधिक अर्थदण्ड अधिरोपित करके अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य किया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। याचिकाकर्ता के प्रकरण का विनिश्चय करते समय, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक अपराध अर्थदण्ड से दण्डनीय है जो 10,000/- रुपये तक हो सकता है और न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकतम अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जिसे अवैध और मनमाना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, मुझे अधीनस्थ



न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं मिलती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि श्रम न्यायालय ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और इस नाते उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अधीन 5,000/- रुपये से अधिक अर्थदण्ड लगाने की शक्ति नहीं है, विचारणीय नहीं है। प्राधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन नहीं, अपितु अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन कर रहा है जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि "(2) वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करेगा, अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा वह कारावास से, 'जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा :।" यदि यह पाया जाता है कि नियोक्ता ने अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी भी उपबंध के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया है, तो प्राधिकारी दस हजार रुपये से कम अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं कर सकता था।





7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में, इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से तब तक बचना चाहिए, जब तक कि ऐसे मामलों में विकृति, अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि स्पष्ट रूप से अभिलेख पर न दिखाई दे, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

8. इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2005 (संलग्नक पी/1) और दिनांक 27.01.2006 (संलग्नक पी/2) निर्दोष, न्यायसंगत और उचित हैं तथा इनमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. तदनुसार, याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही रद्द की जाती है। परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 7798/2006 निराकृत की जाती है।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।